द्वितीय अनुसूची

(धारा–(4–ख देखिए)

(श्रम न्यायाधिकरणों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

1– स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता;

2– स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निर्वचन;

3– कार्य के घण्टे तथा विधान के मध्यान्तरण (rest intervals)

4– मजदूरी सहित अवकाश तथा छुट्टियॉं;

5– बोनस, लाभांश, भविष्य निधि तथा उपदान;

6– स्थायी आदेशों की प्रणाली से भिन्न पारी का संचालन;

7– वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकरण;

8– अनुशासन के नियम;

9– अभिनवीकरण;

10– मजदूरों को छंटनी तथा संस्था का बन्द होना; तथा

[1][10–क– किसी औद्योगिक संस्था के उपबन्ध को बन्द करने से सम्बन्धित कोई मामला]

11– अन्य कोई विषय जो विनिर्दिष्ट किए जाये।

———————

---

2. उत्तर प्रदेश में अधिनियम सं0 26 1983 की धारा द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गयी।